आदेश	कार्यवाही विवरण
20/4/21	[illegible] नोटिस जारी, [illegible] अभिभाषक [illegible] संघ द्वारा [illegible] किया गया है एवं पीठासीन अधिकारी महोदय [illegible] वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 20/5/21 [illegible] हो। शीघ्र
20/5/21	[illegible] अभिभाषक उपस्थित / [illegible] अधिकारी महोदय शीघ्र कार्यों / चुनाव कार्यों में व्यस्त हैं। सुनवाई वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 10/6/21 को पेश हो। शीघ्र
10/8/21	पश्चात्वर्ती कोरोना लॉक डाउन के पश्चात आज पेश हुई। वकील वादी एवं वादी को बार-बार रुक-रुक कर आवाज लगवाई गई, परन्तु इनी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि वादी को अपने वाद में कोई रुचि नहीं है। अतः वाद वादीगण अदम पैरवी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पश्चात्वर्ती फैसला शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा वाद तकमीला दाखिल दफ्तर हो। प्र. सी. है. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:32:11 IST
Reason: SelfAttested